न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 257/2018

GCMS No. : 2018/00332

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. पन्नालाल पुत्र पुनाराम चौधरी मैसर्स रामलाल पन्नालाल फुलाद रोड सोजत रोड पाली 2. कुशाल चन्द जैन मैसर्स बादरमल नथमल मैन बाजार सोजत रोड जिला पाली 3. राहुल श्रीवास्तव (Nominee) M/S NIF private limited shop no 19,20,21, Shyam vihar Road no 14 vishwakarma jaipur

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.7.2024

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 09.07.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स रामलाल पन्नालाल फुलाद रोड सोजत रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम पन्नालाल बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान 25 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) रखे पाये गये, जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था। उसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की। जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 1600/– रूपये नकद पन्नालाल को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर पन्नालाल, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। मौके पर विक्रेता पन्नालाल ने मैसर्स बादरमल नथमल मैन बाजार सोजत रोड का बिल क्रमांक 1453 दिनांक 10.06.2017 की प्रति पेश की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पन्नालाल से खरीदशुदा 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–676 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना संख्या आर–676 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/643/एक्ट/2017/642 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का उत्पादन/विनियम/विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि मैसर्स एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित घी की पैकेजिंग पर सर्वगुण संपन्न कथन के संबध में गलत ब्राडिंग के समान मामले इस न्यायालय के समकक्ष अन्य न्यायालय द्वारा प्रकरण को खारिज कर सर्वगुण संपन्न मार्क को गलतब्रांडिग नही माना है। उक्त प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(2एफ)(ए)(आई) एवं 3(1)(जेडएफ)(बी)(II) के तहत मिथ्याछाप माना है, नमस्ते इण्डिया घी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित घी के सभी गुण मौजुद है, रिपोर्ट में ऐसे कोई तथ्य सामने नही आये कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नमस्ते इण्डिया घी सर्वगुण सम्पन्न घी नही है, उत्पाद पर भ्रामक एवं धोखाधडी वाले दावों के साथ आमजन को बिक्री किया जा रहा है अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी दिनांक 09.07.2017 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स रामलाल पन्नालाल फुलाद रोड सोजत रोड पाली पर गये। वहा पर पन्नालाल ने स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी की फर्म पर रखे 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) में मिलावट का शक होने पर फर्म में रखे 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–676 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की अक्षरशः पालना की गयी है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना कोड संख्या आर–676 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) 1 लीटर घी (नमस्ते इण्डिया) का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

रूपये, कुल 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)